

उत्तराखण्ड शासन  
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,  
राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई  
सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड-248001

निविदा सूचना

1. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा परेड ग्राउण्ड, देहरादून में हिमान्या सरस मेला-2018 के आयोजन हेतु अस्थायी स्टाल निर्माण एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों हेतु प्रतिष्ठित इच्छुक इवेंट प्रबंधक फर्मों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. प्रमुख तिथियां
  - a. प्रकाशन की तिथि : दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से पूर्वान्ह 11.00 बजे से 5.00
  - b. जमा करने की तिथि : दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 को सायं 11.00 बजे तक एस.पी.एम.यू., ग्राम्य विकास विभाग, सचिवालय परिसर, देहरादून
  - c. खुलने की तिथि : दिनांक 27 अक्टूबर, 2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे
3. [www.usrlm.uk.gov.in](http://www.usrlm.uk.gov.in) & [www.tender.gov.in](http://www.tender.gov.in) से भी डाउनलोड कर कय किया जा सकता है। निविदा शुल्क(Non Refundable) रु01000.00 (रु0 एक हजार मात्र) का भुगतान मांग पत्र के रूप में तकनीकी बिड के साथ जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा तक पंजीकृत डाक तथा स्वयं के द्वारा जमा की जा सकती है।
4. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/निरस्त किये जाने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित की गई हैं।

  
अपर सचिव  
ग्राम्य विकास विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

# तकनीकी निविदा प्रारूप

क्र.सं.:

मूल्य: ₹0 1000.00

उपलब्ध क्षेत्र: 400X450 वर्ग फीट

## कार्य का विवरण एवं शर्तें

| क्र. सं. | कार्य विवरण                                               | कार्य का मापदण्ड                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 250 अस्थायी स्टाल का निर्माण<br>250 स्टाल का नाप 3X3 मीटर | जलरोधक एवं अग्निरोधक एस.आर.एफ. की कैनोपी (Fire proof Retarded)                                                                                                                                                         |
| 2        | स्टाल के अन्दर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री              | प्रत्येक स्टाल में 02 ट्यूबलाइट, 02 मेज एवं 02 कुर्सी<br>प्लेटफार्म (3" से 4" की ऊंचाई)<br>प्रत्येक 02 स्टाल पर मोबाइल चार्जिंग हेतु प्लग<br>कारपेट                                                                    |
| 3        | कार्यालय                                                  | कार्यालय कक्ष 4.5X3 मी0<br>वी.आई.पी. लाउंज वरामदा के साथ 6X6 मी0<br>कम्प्यूटर कक्ष 1.5X3 मी.<br>उद्घोषणा कक्ष 1.5X6 मी.<br>कैमिकल शौचालय                                                                               |
| 4        | स्टालों के मध्य खुले जगह में कारपेटिंग                    | 15X20 फीट ग्रीन नेट के साथ (75% घनत्व)                                                                                                                                                                                 |
| 5        | चहारदीवारी                                                | 7.5 फीट पोल के साथ टिन की चादर से कवर। सामने की तरफ ग्रामीण म्यूरल्स के प्लेक्स से सजावट।                                                                                                                              |
| 6        | प्रकाश कार्य एवं<br>प्रकाश पोल/टावर                       | सामने 3 लड़ी, बगल एवं पीछे एक लड़ी<br>प्रत्येक लड़ी में 1 फीट पर 60 वाट के बल्ब<br>20 फीट की उंचाई वाले 10 पोल/टावर— प्रत्येक पोल पर 500 वाट के 06 हैलोजेन बल्ब एवं 10 पोल— प्रत्येक पोल पर 500 वाट के 03 हैलोजेन बल्ब |
| 7        | स्टेज का कार्य                                            | 32X20X4 फीट (बैक थीम के साथ)<br>मंच पर पर्याप्त व्यवस्था एवं<br>पोडियम एवं पोडियम पर प्रकाश व्यवस्था                                                                                                                   |
| 8        | साउण्ड सिस्टम                                             | मंच पर 03 माइक एवं 04 कालम स्पीकर<br>पब्लिक एड्रेस के लिए 01 माइक                                                                                                                                                      |
| 9        | सार्वजनिक शौचालय                                          | 06 पुरुष एवं 06 महिला सामान्य शौचालय दरवाजे एवं सफाई कर्मी एवं अबाध पानी की सुविधा के साथ अस्थायी ईट के टाइल्स लगे हुए।                                                                                                |
| 10       | फूड स्टाल                                                 | 10 स्टाल — 4X3 मीटर गहरे (कुल 120 वर्ग मीटर)<br>मुख्य मेले से अधिकतम 100 फीट की दूरी<br>जलपान हेतु न्यूनतम 10 मेज एवं 40 कुर्सियों की व्यवस्था तथा खुला स्थान ग्रीन नेट से ढका हुआ हो।<br>पीने के पानी के 05 नल        |
| 11       | सुरक्षा कार्य                                             | रिकार्डिंग सुविधायुक्त सी.सी.टी.वी. कैमरा मॉनीटर के साथ (कम से कम 10)<br>(कैमरों की इंस्टॉलेशन इस प्रकार से की जाए कि सम्पूर्ण मेला परिसर की सभी गतिविधियां कवर हो जाय)                                                |
| 12       | मेले की आवश्यकता के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु   | जनरेटर, वी.आई.पी. ब्लॉक, कार्यालय एवं पूरे मेला परिसर में अग्निरोधक वाईरिंग, पोल, Main Pannel के साथ                                                                                                                   |
| 13       | मुख्य स्टेज के सामने आगन्तुकों के बैठने हेतु              | न्यूनतम 100 कुर्सियां तथा अति विशिष्टजनों हेतु अग्रिम                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | परिसर में स्थाई सुरक्षा गार्ड                                                                                                                                            | पक्ति पर सोफे की व्यवस्था।<br>न्यूनतम 15 सुरक्षा गार्ड।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | स्वयं सहायता समूहों द्वारा विपणन हेतु लाए गए सामानों की सुरक्षा हेतु निर्धारित अवधि तक अधिकृत बीमा एजेन्सी से रु0 400.00 लाख का बीमा कार्य                               | आग, व्यक्तिगत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चोरी, आतंकवादी घटना, दंगा आदि से हानि अथवा अन्य किसी दुर्घटनाओं से उत्पादों का मेले के दौरान होने वाला नुकसान।<br>बीमा का भुगतान फर्म द्वारा करते हुए बीमा पॉलिसी विभाग के नाम तथा पॉलिसी विभाग में जमा करनी होगी।                                               |
| 16 | मेला उद्घाटन एवं समापन समारोह हेतु                                                                                                                                       | फूल, बुके, साज-सज्जा, टेबल, कुर्सी, सुविनेयर एवं मेले में आने वाले अधिकारियों के साथ-साथ मेलावधि में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जलपान एवं खाने आदि की व्यवस्था।                                                                                                                       |
| 17 | होर्डिंग/बैनर एवं विज्ञापन मेला प्रारम्भ किए जाने के 02 दिन पूर्व से और मेले के समापन से एक दिन पूर्व तक (उद्घाटन के दिन 03 स्थानीय व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में) | 20 X10 के 8 होर्डिंग एवं 3 X 8 फीट के 20 बैनर, 05 रंगीन विज्ञापन- 25X 16 से.मी एवं 10 विज्ञापन श्वेत-श्याम स्थानीय व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में,<br>होर्डिंग/बैनरों एवं विज्ञापन पर लिखी जाने वाली सामग्री बिना अतिरिक्त व्यय के डिजाइन कर एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास से स्वीकृत होनी आवश्यक है। |
| 18 | 14 दिनों के लिए एक Four Wheeler                                                                                                                                          | वाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | मेला परिसर में Co2 एवं DCP अग्निशमन यंत्रों का स्थापना का कार्य                                                                                                          | गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या- IV23014/156/2006VS दिनांक 17.07.2006 में उल्लिखित नियमों के अनुसार।                                                                                                                                                                                              |
| 20 | प्रवेशद्वार                                                                                                                                                              | मजबूत एवं डिजाइन निविदा समिति द्वारा स्वीकृत प्रवेश द्वार पर साज-सज्जा एवं प्रदर्शन मेला की थीम, गेट पर सुरक्षा हेतु गेट दो आकस्मिक गेट                                                                                                                                                                  |
| 21 | विडियो वाल                                                                                                                                                               | एक एलईडी वाल पैनल                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | सफाई का कार्य                                                                                                                                                            | सफाई कर्मी- न्यूनतम 07<br>20 लीटर क्षमता वाले 10 कूड़ादान एवं 50 लीटर क्षमता वाले 20 कूड़ादान<br>मेला परिसर से कूड़े का उचित निपटान                                                                                                                                                                      |
| 23 | सांस्कृतिक कार्यक्रम                                                                                                                                                     | 10 दिनों के लिए (प्रत्येक दिन के अनुसार)                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- निविदा के साथ धरोहर राशि रु0 1,50,000.00 (रु0 एक लाख पचास हजार मात्र) जो एफ.डी.आर. के रूप में राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून के नाम बन्धक होगी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जो निविदा खोलने के पश्चात चयनित न्यूनतम निविदादाता फर्म की रोककर शेष को वापस की जायेगी।
- आनलाइन फार्म एवं कार्यालय से कय करने की दशा में तकनीकी बिड के साथ मांग पत्र संलग्न करना अनिवार्य।
- निविदा धारक फर्म को भारतवर्ष का नागरिक होना अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ कार्य अनुबन्ध हेतु रु0 100.00 का भारतीय गैर-न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबन्ध हेतु हस्ताक्षर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- निविदा प्रपत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि निविदाकर्ता फर्म द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया है।
- फर्म द्वारा राजकीय प्रदर्शनी एवं अस्थायी मेला निर्माण कार्य पूर्ण करने का विगत तीन वर्ष का अनुभव का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा।

7. सरस मेले के समकक्ष कार्य एवं सेवाएं देने का विगत तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को अपनी फर्म इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी। प्रमाणपत्र न होने की दशा में उक्त फर्म को अनर्ह/अयोग्य होगी।
9. निविदादाता को अपनी फर्म का पैन एवं जीएसटी संख्या एवं अन्तिम आयकर रिटर्न प्रपत्र की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
10. निविदापूर्ति करने वाली फर्म द्वारा विगत 03 वर्ष की फर्म की बैलेंसशीट सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी।
11. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा पूर्ण मेलावधि के दौरान कार्य करने वाले फर्म/संस्था के कम से कम 10 कर्मचारियों (परिचय पत्र के साथ) के नाम, दूरभाष/मोबाईल संख्या एवं आवंटित कार्य के साथ-साथ एक वाकीटाकी भी कार्यालय में जमा करेगा। यदि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के समय संबंधित संस्था के कर्मचारी के अनुपस्थित होने पर वित्तीय रूप से 01% तक दण्डित किया जाएगा।
12. निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम ₹0 100.00 लाख प्रति वर्ष अनिवार्य तथा विगत तीन वर्षों का टर्नओवर सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
13. निविदादाता ₹010.00 के गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को पूर्व में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई सजा, अर्थ-दण्ड अथवा काली सूची में नहीं रखा गया है।
14. चयनित फर्म को स्वीकृत कार्य आदेश की प्राप्ति उपरांत कार्यपूर्ति प्रतिभूति की राशि के रूप में निविदा लागत का 10% की धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से परियोजना समन्वयक/अपर सचिव, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्राम्य विकास, देहरादून के नाम बंधक के रूप में कार्य आदेश प्राप्त करने के दो दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के पश्चात् अधिकतम 01 माह के अन्दर बंधक की गई धनराशि वापस की जायेगी।
15. इवेंट मैनेजमेंट फर्म द्वारा 400 प्रतिभागियों के साफ-सुथरी आवासीय एवं स्थानीय परिवहन (मेला स्थल से उठरने के स्थान तक) व्यवस्था किया जाएगा।
16. प्रत्येक दुकानों में विद्युत की अबाध व्यवस्था का कार्य जिसका भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा तथा 05 मिनट से ज्यादा बाधित होने की दशा में फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि से 01से 2% तक कटौती की जाएगी।
17. दुकानों के निर्माण हेतु मेला ग्राउण्ड का स्थल विकास का कार्य।
18. सुरक्षा, साफ-सफाई, पीने योग्य जल, शौचालय एवं अन्य कार्यों हेतु जल की व्यवस्था नियमित की जाएगी। उक्त व्यवस्था के प्रति कोई शिकायत प्राप्त होती है तो, जांच में पुख्ता पाए जाने पर फर्म को भुगतान की जाने वाली धनराशि से 01% की कटौती की जाएगी।
19. निविदा खुलने की तिथि को निविदादाताओं को अस्थायी मेला अथवा मेला पवेलियन तैयार करने के लिये पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण करना होगा तथा मेले का ले-आउट प्लान हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में प्रस्तुत करना होगा।
20. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड दो अलग-अलग लिफाफे में सील कर, एक बड़े लिफाफे में जिसके ऊपर "हिमान्या सरस मेला हेतु निविदा" लिखा हो को सील बन्द कर एसपीएमयू कार्यालय में नियत समय में जमा की जाएगी। तकनीकी निविदा में किसी प्रकार का वित्तीय सन्दर्भ सम्मिलित नहीं होना चाहिये ऐसा होने पर फर्म को अनुपयुक्त मानकर निरस्त कर दिया जायेगा।
21. अस्थायी मेला प्रारम्भ करने के लिये निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व आयोजन की व्यवस्था पूर्ण करते हुए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा अपर सचिव, ग्राम्य विकास को निरीक्षण हेतु अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
22. अस्थायी मेला के संचालन की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु जिला प्रशासन से अनुमति, विद्युत सुरक्षा निरीक्षण, अग्नि सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा प्राप्त किये जाएंगे तथा तैयार मेला स्थल हस्तांतरित (Handover) किए जाते समय समस्त प्रमाण-पत्र एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध किए जाएंगे।
23. कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्य किसी अन्य फर्म/संस्था को हस्तांतरित (SUBLET) नहीं किया जायेगा।

24. अनुबन्ध की सभी शर्तों को मानने के लिए निविदादाता फर्म बाध्य होगी। अनुबन्ध निविदा को ही एक भाग माना जायेगा। सर्शत निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।
25. निविदा समिति को किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. विवाद उत्पन्न होने पर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित आर्बिटेटर की नियुक्ति की जायेगी जो कि अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो जिसका निर्णय दोनों पक्षों की उपस्थिति में लिया जायेगा तथा दोनों को मान्य होगा एवं अंतिम होगा।
27. अस्थायी दुकानों के निर्माण कार्यों में फर्म के सामान की टूट-फूट तथा किसी भी प्रकार के नुकसान आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।
28. मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कटौती कुल निविदा मूल्य का अधिकतम धनराशि 10% से अधिक नहीं होगी।
29. सरस मेला 2018 के संचालन हेतु कार्यदायी संस्था को 30 प्रतिशत अग्रिम के रूप में भुगतान उतनी ही धनराशि की बैंक गारंटी लेकर की जायेगी। द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान मेला के दौरान एवं शेष 30 प्रतिशत की धनराशि मेला समाप्त एवं कोई शिकायत प्राप्त न होने पर, कार्यदायी संस्था द्वारा सरस मेला 2018 की मेला रिपोर्ट, मदवार व्यय की आडिट रिपोर्ट, 300 अच्छे गुणवत्तायुक्त फोटोग्राफ साफ्ट एवं हार्ड कापी एवं मेले की Documentry H.D. गुणवत्ता वाली फिल्म का निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा भुगतान की जायेगी। भुगतान हेतु देय धनराशि पर नियमानुसार आयकर एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।
30. निर्धारित तिथि तक अस्थायी मेले की सम्पूर्ण व्यवस्थायें आवश्यक रूप से पूर्ण करना अनिवार्य होगा किन्हीं कारणों से विलम्ब स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए निविदादाता फर्म को दण्ड दिये जाने का अधिकार विभाग को होगा तथा फर्म को भविष्य के आयोजन के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
31. वित्तीय दण्ड एवं कटौती तकनीकी निविदा में उल्लिखित दरों एवं कार्य विवरण के बिन्दु के अनुसार होगा।
32. तकनीकी एवं वित्तीय बिड पृथक-पृथक लिफाफे में होगी और तकनीकी बिड खुलने के उपरान्त कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
33. कार्य आदेश निर्गत होने के पश्चात निविदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यदि कार्य मानक के अनुरूप, किसी भी स्तर के निरीक्षण के समय नहीं पाई जाती है, तो कार्य आदेश निरस्त/परिवर्तन करने के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, ग्राम्य विकास स्वतंत्र होगा तथा फर्म के द्वारा जमा प्रतिभूति राशियों को भी जब्त करने का अधिकार अपर सचिव, ग्राम्य विकास में निहित होगा।
34. वित्तीय मामलों के वाद-विवाद का निष्पादन करने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा।
35. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को सायं 11.30 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं के द्वारा जमा की जा सकती है।

फर्म/संस्था का नाम  
हस्ताक्षर एवं मुहर

मालिक/प्रतिनिधि का नाम

२

# वित्तीय निविदा प्रारूप

| क्र. सं. | कार्य                                                   | कार्य का मापदण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 250 स्टाल का नाप<br>250 स्टाल- प्रत्येक स्टाल 3X3 मीटर  | जलरोधक एवं अग्निरोधक एस.आर.एफ. की कैनोपी (Fire proof Retarded)                                                                                                                                                                                                                     |
| 2        | स्टाल के अन्दर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री            | प्रत्येक स्टाल में 02 ट्यूबलाइट, 02 मेज एवं 02 चेयर<br>प्लेटफार्म 3" से 4" ऊंचाई<br>प्रत्येक 02 स्टाल पर मोबाइल चार्जिंग हेतु प्लग कारपेट                                                                                                                                          |
| 3        | कार्यालय                                                | कार्यालय कक्ष 4.5X3 मी0<br>वी.आई.पी. लाउंज वरामदा के साथ 6X6 मी0<br>कम्प्यूटर कक्ष 1.5X3 मी.<br>उद्घोषणा कक्ष 1.5X6 मी.<br>केमिकल शौचालय                                                                                                                                           |
| 4        | स्टालों के मध्य खुले जगह में कारपेटिंग                  | 15X20 फीट ग्रीन नेट के साथ (75% घनत्व)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | च्छादीवारी                                              | 7.5 फीट पोल के साथ टिन की चादर से कवर। सामने की तरफ फ्लेक्स पर ग्रामीण म्यूरल्स से सजावट।                                                                                                                                                                                          |
| 6        | प्रकाश कार्य एवं<br>प्रकाश पोल/टावर                     | सामने 3 लड़ी, बगल एवं पीछे एक लड़ी<br>प्रत्येक लड़ी में 1 फीट पर 60 वाट के बल्ब<br>20 फीट की उंचाई वाले 10 पोल/टावर- प्रत्येक पोल पर 500 वाट के 06 हैलोजेन बल्ब एवं 10 पोल- प्रत्येक पोल पर 500 वाट के 03 हैलोजेन बल्ब                                                             |
| 7        | स्टेज का कार्य                                          | 32X20X4 फीट (बैक थीम के साथ)<br>मंच पर पर्याप्त व्यवस्था एवं<br>पोडियम एवं पोडियम पर प्रकाश व्यवस्था                                                                                                                                                                               |
| 8        | साउण्ड सिस्टम                                           | मंच पर 03 माइक एवं 04 कालम स्पीकर<br>पब्लिक एड्रेस के लिए 01 माइक                                                                                                                                                                                                                  |
| 9        | सार्वजनिक शौचालय                                        | 06 पुरुष एवं 06 महिला सामान्य शौचालय दरवाजे एवं सफाई कर्मी एवं अबाध पानी की सुविधा के साथ अस्थायी ईट के टाइल्स लगे हुए।                                                                                                                                                            |
| 10       | फूड स्टाल                                               | 10 स्टाल- 4X3 मीटर गहरे (कुल 120 वर्ग मीटर), प्रत्येक स्टाल में 03 मेज, जलपान हेतु न्यूनतम 30 मेज एवं 60 कुर्सियों की व्यवस्था तथा खुला स्थान ग्रीन नेट से ढका हुआ हो।<br>मुख्य मेले से अधिकतम 100 फीट की दूरी पीने के पानी के 05 नल एवं प्रतिदिन आवश्यकतानुसार टैंकर से जलापूर्ति |
| 11       | सुरक्षा कार्य                                           | रिकार्डिंग सुविधायुक्त सी.सी.टी.वी. कैमरा मॉनीटर के साथ (कम से कम 10)<br>(कैमरों की इंस्टॉलेशन इस प्रकार से की जाए कि सम्पूर्ण मेला परिसर की सभी गतिविधियां कवर हो जाय)                                                                                                            |
| 12       | मेले की आवश्यकता के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु | जनरेटर, वी.आई.पी. ब्लॉक, कार्यालय एवं पूरे मेला परिसर में अग्निरोधक वाइरिंग, पोल, Main Pannel के साथ                                                                                                                                                                               |
| 13       | मुख्य स्टेज के सामने आगन्तुकों के बैठने हेतु            | न्यूनतम 60 कुर्सियां तथा अति विशिष्टजनों हेतु अग्रिम पक्ति पर सोफे की व्यवस्था।                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | परिसर में स्थाई सुरक्षा गार्ड                           | न्यूनतम 15 सुरक्षा गार्ड।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15       | स्वयं सहायता समूहों द्वारा विपणन हेतु लाए               | आग, व्यक्तिगत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चोरी, आतंकवादी                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | गए सामानों की सुरक्षा हेतु निर्धारित अवधि तक अधिकृत बीमा एजेन्सी से रु0 350.00 लाख का बीमा कार्य                                                                         | घटना, दंगा आदि से हानि अथवा अन्य किसी दुर्घटनाओं से उत्पादों का मेले के दौरान होने वाला नुकसान, बीमा का भुगतान फर्म द्वारा करते हुए बीमा पॉलिसी विभाग के नाम तथा पॉलिसी विभाग में जमा करनी होगी।                                                                                                   |
| 16 | मेला उद्घाटन एवं समापन समारोह हेतु                                                                                                                                       | फूल, बुके, साज-सज्जा, टेबल, कुर्सी, सुविनेयर एवं मेले में आने वाले अधिकारियों के साथ-साथ मेलावधि में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जलपान एवं खने आदि की व्यवस्था।                                                                                                                  |
| 17 | होर्डिंग/बैनर एवं विज्ञापन मेला प्रारम्भ किए जाने के 02 दिन पूर्व से और मेले के समापन से एक दिन पूर्व तक (उद्घाटन के दिन 03 स्थानीय व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में) | 20 X10 के 8 होर्डिंग एवं 3 X8 फीट के 20 बैनर 05 रंगीन विज्ञापन - 25X16 से.मी एवं 10 विज्ञापन श्वेत-श्याम स्थानीय व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में होर्डिंग/बैनरों एवं विज्ञापन पर लिखी जाने वाली सामग्री बिना अतिरिक्त व्यय के डिजाइन कर एस0पी0एम0यू0, ग्राम्य विकास से स्वीकृत होनी आवश्यक है। |
| 18 | 14 दिनों के लिए एक Four Wheeler                                                                                                                                          | वाहन                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | मेला परिसर में Co2 एवं DCP अग्निशमन यंत्रों का स्थापना का कार्य                                                                                                          | गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या- IV23014/156/2006VS दिनांक 17.07.2006 में उल्लिखित नियमों के अनुसार।                                                                                                                                                                                        |
| 20 | प्रवेशद्वार                                                                                                                                                              | मजबूत एवं डिजाइन निविदा समिति द्वारा स्वीकृत प्रवेश द्वार पर साज-सज्जा एवं प्रदर्शन मेला की थीम प्रवेशद्वार पर सुरक्षा हेतु गेट दो आकस्मिक गेट                                                                                                                                                     |
|    | विडियो वाल                                                                                                                                                               | एक एलईडी वाल पैनल                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | सफाई का कार्य                                                                                                                                                            | सफाई कर्मी- न्यूनतम 07 20 लीटर क्षमता वाले 10 कूड़ादान एवं 50 लीटर क्षमता वाले 20 कूड़ादान मेला परिसर से कूड़े का उचित निपटान                                                                                                                                                                      |
| 22 | सांस्कृतिक कार्यक्रम                                                                                                                                                     | 10 दिनों के लिए (प्रत्येक दिन के अनुसार)                                                                                                                                                                                                                                                           |

## घोषणा

हमारे द्वारा उपरोक्त तकनीकी एवं वित्तीय भावपत्र (Technical & Financial Bid) में वर्णित समस्त कार्य एवं मापदण्ड का भलीभांति अध्ययन कर समझ लिया है, तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु हमारी फर्म अंकन रु0.....(शब्दों में.....) की धनराशि में कार्य करने पर सहमत है।

सरस मेला के दौरान यथा आवश्यकतानुसार स्टाल बढ़ाने की दशा में प्रति स्टाल बनाने की दर- हमारी इवेंट मैनेजमेंट एजेन्सी के द्वारा उपरोक्त कार्य किए जाने हेतु निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

हमारी फर्म के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य करने हेतु अंकित दर में समस्त कर यथा जीएसटी आदि सम्मिलित है।

मेले के प्रचार प्रसार हेतु बिन्दु सं0 17 में वर्णित विज्ञापन पारी किये जाने हेतु विभाग द्वारा डी0ए0वी0पी0 दर पर इवेंट मैनेजमेंट एजेन्सी द्वारा विज्ञापन निर्गत किये जायेंगे, जिसका व्यय भार फर्म/इवेंट मैनेजर द्वारा वहन किया जायेगा।

3

फर्म/संस्था का नाम  
हस्ताक्षर एवं मुहर  
मालिक/प्रतिनिधि का नाम